

प्रपत्र VI 'क'

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू—अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना

संख्या—107 भू—छा (अधिनियम—30/2013 की धारा—11 (1) के अधीन)

पल्पड दिनांक 7.5.2018

चूंकि झारखण्ड सरकार/ समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—सिंगरा कलां, थाना—मेदिनीनगर, थाना सं0—195, अंचल सदर मेदिनीनगर, जिला—पलामू में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना N.H-75 के किमी 0 174वें अमानत नदी पर पुल निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम—सिंगरा कलां, थाना सदर मेदिनीनगर, थाना सं0—195 अंचल सदर मेदिनीनगर, जिला—पलामू में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.75 एकड़ यानि 0.708 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	216	1371	बन्दोवस्ती के पश्चात् रेयती	टाड III	1.75	1. योगेन्द्र कुमार सिंह, बिरेन्द्र कुमार सिंह, पिता—स्व0 कामेश्वर सिंह 2. अरुण कुमार सिंह, गोपाल शरन सिंह, पिता—स्व0 तालकेश्वर सिंह 3. सिकुमार सिंह, पिता—स्व0 जगदीश्वर प्रसाद सिंह, नरेन्द्र सिंह, पिता—स्व0 अवधाकिशोर सिंह, विजय कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, धन्नजय कुमार सिंह, पिता—स्व0 गिरवरधारी सिंह, राकेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, पिता—स्व0 राजेन्द्र सिंह, श्यामनारायण सिंह, पिता—स्व0 विन्धा सिंह 4. रामनारायण सिंह, पिता—स्व0 रामसुन्दर सिंह, मनमोहन सिंह, राजेश कुमार सिंह, पिता—स्व0 योगेश्वरनाथ सिंह, संजय कुमार सिंह, पिता—स्व0 केदारनाथ सिंह, 5. नवलकिशोर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, पिता—स्व0 बालकेश सिंह, सा0 सिंगरा कलां	1387	1371	1371	1371

यह अधिसूचना भू—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा—11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/ समाहर्ता—सह—समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी

स्तर को मापने के लिए अक्षमूमि खोदने या भू-वेधन छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पलामू और संबंधित राजस्व कर्मचारी सदर अंचल मेदिनीनगर को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पलामू के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

०५/०२/१६
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
पलामू।

०५/०२/१६
अपर समाहर्ता,
पलामू।

०५/०२/१६
उपायुक्त, पलामू।